संख्या-11 /2642 /33-3-2014-100(17)/2014

प्रेषक,

राकेश कुमार
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 05 नवम्बर, 2014

विषय- निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिए एस0सी0पी0(अनुसूचित जातियों) के लिए अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राज्यांश मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष रू0 3356.77 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या- 5/शा/364/2014-5/41/2014, दिनांक 23 जुलाई, 2014 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 83 में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 19205.72 लाख के सापेक्ष रू0 3356.77लाख (रू0 तैतीस करोड छप्पन लाख सतहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यापल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबंधों /नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशिल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(5) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण /सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

http://shasanadesh.up.nic.

(6) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0 /टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित /अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 83 के लेखाशीर्षक"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में कार्यान्वयन हेतु अनुदान (के080/रा.20-रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मि-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यत: दोह माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जायेगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- यह ओदश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2467/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
8- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-11/2642/ 33-3-2014-100(17)/2014, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 का संलग्नक।

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0

वर्ष 2014-15 में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति (अनुदान संख्या- 83) के लिए राज्यांश मद की प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आवश्यक धनराशि अवमुक्त करने हेतु फॉट

अनुदान संख्या-83 (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2014-15 में प्राविधानित राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3
1	मेरठ	41.22
2	बागपत	32.67
3	गाजियाबाद	36.26
4	गौतमबुद्धनगर	33.03
5	बुलन्दशहर	55.77
6	सहारनपुर	60.34
7	मुजफ़्फरनगर	69.30
8	आगरा	52.52
9	अलीगढ	51.43
10	हाथरस	41.15
11	एटा	52.30
12	मैनपुरी	30.30
13	मथुरा	33.41
14	फिरोजाबाद	67.46
15	कांशीरामनगर	76.73
16	बरेली	69.91
17	बदायूँ	0.00
18	पीलीभीत	62.20
19	शाहजहाँपुर	65.13
20	मुरादाबाद	140.65
21	ज्योतिबाफूलेनगर	55.36
22	रामपुर	48.88
23	बिजनौर	35.88
24	लखनऊ	0.00
25	रायबरेली	70.30
26	हरदोई	0.00
27	उन्नाव	0.00
28	सीतापुर	99.02
29	लखीमपुर खीरी	70.60
30	फैजाबाद	22.31
31	अम्बेडकरनगर	54.00

http://shasanadesh.up.nic.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2014-15 में प्राविधानित राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जा रही धनराशि।
32	सुल्तानपुर	56.47
33	बाराबंकी	0.00
34	गोण्डा	33.97
35	बलरामपुर	41.76
36	बहराइच	90.22
37	श्रावस्ती	44.97
38	इलाहाबाद	97.26
39	कौशाम्बी	38.86
40	फतेहपुर	62.33
41	प्रतापगढ	70.28
42	वाराणसी	37.03
43	चन्दौली	20.34
44	गाजीपुर	29.83
45	जौनपुर	91.67
46	मिर्जापुर	57.67
47	सोनभद्र	18.93
48	संतरविदासनगर	42.11
49	हमीरपुर	34.57
50	बांदा	40.66
51	चित्रकूट	46.12
52	महोबा	22.96
53	गोरखपुर	79.42
54	महाराजगंज	0.00
55	देवरिया	81.74
56	कुशीनगर	104 ;37
57	बस्ती	75.25
58	संतकबीरनगर	58.16
59	सिद्धार्थनगर	34.49
60	आजमगढ	116 .77
61	मऊ	45.38
62	बलिया	45.84
63	कानपुर नगर	42.30
64	कानपुर देहात	26.02
65	फर्रूखाबाद	0.00
66	कन्नौज	42.28
67	इटावा	0.00
68	औरैया	22.34
69	झांसी	37.05
70	ललितपुर	16.61
71	जालौन	22.61
	कुल योग-	3356.77

http://shasanadesh.up.nic.